राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रभारी खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रियों की दिनांक 7 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का कार्यवृत्त

1. खाद्य मंहगाई की समस्या पर विचार करने और बढ़ती हुई कीमतों विशेषत: सब्जियों, दालों और आम उपभोग की अन्य खाद्य वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक साझा कार्यनीति इजाद करने हेतु माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की एक राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का आयोजन किया गया। 16 राज्यों से संबंधित मंत्रियों ने तथा अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सचिवों/प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। माननीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन सिंह भी मुख्य अतिथि के रूप में बैठक उपस्थित थे।

प्रतिभागियों की सूची संलग्न है।

2. सचिव (उपभोक्ता मामले) ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने बैठक की कार्यसूची की रूपरेखा का विवरण दिया और प्रतिवर्ष जुलाई से नवम्बर के दौरान सामने आने वाली खाद्य मंहगाई की समस्या से निपटने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने की आवश्यकता का खाका तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सम्बोधन के लिए माननीय कृषि मंत्री जी को आमंत्रित किया।

3. माननीय कृषि मंत्री ने अपने भाषण में किसानों के लाभ हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी जिसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, सिंचाई में सुधार, दलहन तथा खाद्यान्नों आदि के उत्पादन में बढ़ोतरी शामिल है। उन्होंने सभी राज्यों में समरूप मंडी कानून की आवश्यकता पर बल दिया। कर्नाटक में इसे लागू कर दिया गया है, अन्य राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे इसे अपनाएं और सरकार भी एक राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं होगी तथा राज्यों के सहयोग से सिंचाई के पानी में होने वाली कमी का समाधान कर लिया जाएगा।

उन्होंने राज्यों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया और छत्तीसगढ़ राज्य का उदाहरण दिया, जिसका अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। बिहार के संबंध में उन्होंने कहा कि कुल 8.71 करोड़ व्यक्तियों में से अभी तक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केवल 7.60 करोड़ व्यक्ति ही कवर किए जा रहे हैं। उन्होंने, कवर किए जाने वाले लगभग एक करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों की सूची को डिजिटल बनाने संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान और उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल पर रखने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि उन्हें भी अधिनियम के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) को कार्यान्वित करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केवल 12 राज्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किया है और उन्होने उन शेष राज्यों, जहां अधिनियम का कार्यान्वयन होना बाकी है, से अनुरोध किया कि वे इसे शीघ्र ही कार्यान्वित करें।

4. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रतिवर्ष जुलाई से नवम्बर के दौरान शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हालांकि खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं किन्तु देश की जनता को उचित एवं वहनीय कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में राज्य सरकारों को निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने, खाद्य मंहगाई को नियंत्रित रखने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सभी राज्यों की प्रशंसा की। उन्होंने सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से अपील की कि वे अपने व्यापार, वाणिज्य तथा वितरण को जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी तथा उत्पादक-संघों से मुक्त करते हुए प्याज, टमाटर, सब्जियों, फलों, खाद्य तेलों तथा दालों जैसे सभी आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सुचारू एवं पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करना सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान तथा संवितरण न्याय में सुधार के लिए पहले से की गई विभिन्न पहलों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकती है। इसलिए सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से इस चुनौती से निपटने के लिए कटिबद्ध है। एक संयुक्त रणनीति तैयार करने और जहां तक संभव हो सके जिला स्तर तक इसके कार्यान्वयन को बढ़ाने का विचार है।

उन्होने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीबों के लिए जीवन रेखा है और देश में पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है। पिछले वर्ष हुई कम वर्षा के बावजूद भी उत्पादन में मामूली कमी आई थी। खाद्यान्नों की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने विशेषत: जुलाई से नवम्बर की अवधि, जो कि त्यौहारों का मौसम है और मूल्य वृद्धि के प्रति अति संवेदनशील है, के दौरान मूल्य स्थिति के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। तथापि, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केन्द्र सरकार, राज्यों के सहयोग से स्थिति से निपटने में सक्षम होगी। माननीय मंत्री जी ने यह भी उल्लेख किया कि उनका मंत्रालय और सरकार, किसानों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील है तथा बेमौसमी बरसात/ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मूल्य में किसी प्रकार की कटौती किए बगैर ही गेहूं के गुणवत्ता मानदंडों में रियायत देने का निर्णय लिया है।

खाद्य सब्सिडी के संबंध में नकद अंतरण के बारे में माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि यह लीकेज और विपथन को रोकने संबंधी सुधारात्मक उपायों में से एक उपाय है और इसके अपने लाभ हैं। तथापि, उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि सभी संबंधित पहलुओं - जैसे कि नकद अंतरण वाले क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों का बंद होना तथा खाद्यान्न भंडारण गोदामों का उपयोग न होना/कम उपयोग होना, नकद अंतरण का लाभार्थियों के खाद्यान्न खरीदने की प्रवृत्ति पर प्रभाव, नकद के दुरुपयोग की संभावना आदि - की ध्यानपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा एन0एफ0एस0ए0 के मुद्दे पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन, केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी खाद्यान्नों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तक पहुंचाने की होती है। लेकिन इसके बाद उठान तथा लाभार्थियों तक इसका वास्तविक संवितरण करना,

राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। लीक रोधी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से समयबद्ध रूप से सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया। एन0एफ0एस0ए0 के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि यही तरीके से कार्यान्वित किया जाए तो यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कई वर्तमान खामियों को दूर किया जा सकता है। अब तक केवल 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने एन0एफ0एस0ए0 को कार्यान्वित किया है, हालांकि अधिनियम को कार्यान्वित करने की अवधि को अब तक तीन बार बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2015 कर दिया गया है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

5. इसके बाद 22 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रुझानों, एन0एफ0एस0ए0 के कार्यान्वयन, टी0पी0डी0एस0 के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण तथा गोदामों के निर्माण के संबंध में भूमि संबंधित मुददों पर प्रस्तुतियां दी गईं जो निम्नानुसार हैं:-

(i) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सलाहकार ने कीमतों में बढ़ोतरी के कारणों, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य रुझानों तथा खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में की गई पहलों के संबंध में प्रस्तुति दी। प्रस्तुति की एक प्रति **अनुलग्नक – I** पर है।

(ii) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आर्थिक सलाहकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में दी गई प्रस्तुति में इसके कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान स्थिति, अधिनियम के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों और इसके शीघ्र लागू करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने यह भी सूचित किया कि जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन किया जाना अभी बाकी है, उनमें अतिरिक्त ए0पी0एल0 तथा बी0पी0एल0 आबंटन 30.09.2015 तक ही है। यदि वे इस अधिनियम को 30 सितम्बर, 2015 तक लागू करने में विफल रहते हैं तो आबंटन को जारी रखने के संबंध में पुनर्विचार करना होगा।

(iii) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव (बी0पी0, पी0डी0) ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्पूर्ण कम्पयूटरीकरण की योजना के बारे में राज्यवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में प्रस्तुति दी। उन्होंने पहले से जारी की गई निधियों के उपयोग की गति को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि अगली किस्त जारी की जा सके। राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे प्वाईंट ऑफ सेल डिवाईस की स्थापना के माध्यम से मार्च, 2016 तक एक-तिहाई जिलों में उचित दर की दुकानों के स्वचालन हेतु तिमाही-वार कार्ययोजनाएं तैयार करें जिसके लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ वित्तीय सहायता संबंधी आवश्यक तकनीकी विनिर्देशन तथा तरीके का आदान-प्रदान पहले से ही किया जा चुका है। 90% से अधिक आधार संतृप्ति वाले 108 जिलों को वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विशेषत: कुछेक संघ शासित क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर एक अन्य सुधारात्मक उपाय अर्थात खाद्यान्नों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण/नकद अंतरण के बारे में भी बताया।

(iv) संयुक्त सचिव (भंडारण) ने विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के निर्माण के लिए भूमि संबंधी मुद्दों तथा पी0ई0जी0 योजना के तहत तथा केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा बिहार में गोदामों के निर्माण के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया।

(v) उपरोक्त (ii), (iii) तथा (iv) को कवर करने वाली प्रस्तुति की एक प्रति **अनुलग्नक-II** पर है।

6. इसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा दिल्ली के अधिकारियों ने एफ0पी0एस0 स्वचालन तथा 'आधार' सीडिंग के क्षेत्रों में उनके द्वारा की गई सफल पहलों के बारे में जानकारी दी, विवरण **अनुलग्नक-III** पर है।

7. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के बाद राज्यों के साथ बैठक की कार्यसूची पर चर्चा की गई। चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :

(i) गुजरात:-

मूल्य नियंत्रण उपाय

सभी जिला प्राधिकारियों को खाद्य महंगाई के बारे में सतर्क रहने का निदेश दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा अधिनियम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। राशन कार्डों को डिजिटाईज्ड कर दिया गया है और वे पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राज्य सरकार, राशन कार्ड डाटा बेस के सत्यापन के लिए एस0ई0सी0सी0 आंकड़ों का प्रयोग कर रही है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान वे मोबाईल नम्बरों, आधार नम्बरों को एकत्रित कर रहे हैं और उन्हें डाटाबेस के साथ जोड़ रहे हैं। अब तक लगभग 25% सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है और राज्य को प्रक्रिया पूरी करने तथा अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कम से कम 6 माह का और समय दिया जाना चाहिए।

डोर स्टेप डिलीवरी कार्यान्वित की जा चुकी है। गोदामों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है।

(ii) ओडिशा:

मूल्य नियंत्रण उपाय

प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी बेमौसमी बरसात के कारण है। दालों और खाद्य तेलों का मूल्य रुझान राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों की तरह ही है। सब्जियों तथा फलों को ए0पी0एम0सी0 एक्ट की सूची से हटा दिया गया है। पिछले वर्ष के दौरान 1500 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन किया गया। मूल्य स्थिरीकरण कोष से सहायता प्राप्त करने के उपाय किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

राज्य ने एन0एफ0एस0ए0 के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिए 8 अपवर्जनों तथा 5 अंतर्मेशनों को अंतिम रूप दिया है। प्राथमिक परिवारों की पहचान अंतिम चरण में है। लाभार्थियों के संबंध में अंतिम डाटाबेस दिनांक 31.8.2015 तक राज्य के ई-पी0डी0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। अनुमान है कि राज्य द्वारा

एन0एफ0एस का कार्यान्वयन 30.09.2015 तक कर लिया जाएगा। यह इंगित किया गया कि अधिनियम में उल्लिखित खाद्यान्नों के आबंटन में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अंत्योदय अन्न योजना (ए0ए0वाई0) के लिए परिवार का आकार 5 सदस्य माना है जबकि ए0ए0वाई0 के लिए परिवार का वास्तविक आकार 3.79 सदस्य है।

अन्य मुद्दे

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हॉस्टल स्कीम के तहत कवरेज को बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है क्योंकि पिछले 6 वर्षों में यह तीन गुणा हो गया है। राज्य से अनुरोध किया गया था कि वो उन संबंधित मंत्रालयों से संपर्क करे जिसने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को खाद्यान्नों की आवश्यकता का प्रक्षेपण करना है।

(iii) <u>आंध्र प्रदेश:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय

चने की दाल को छोड़कर कीमतें स्थिर हैं। जिला मूल्य मॉनीटरिंग समितियां, खाद्य वस्तुओं के मूल्य की मॉनीटरिंग करती हैं। राज्य सरकार, 100/-रु0 प्रति किलोग्राम के बाजार मूल्य की तुलना में चने की दाल 50/-रु0 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करा रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

अधिकांश प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है। राज्य, शेष प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करेगा और दिनांक 30.09.2015 तक अधिनियम का कार्यान्वयन आरम्भ हो जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अधिनियम का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, हालांकि अधिनियम के तहत उन्हें खाद्यान्नों आबंटन अभी बाकी है। राज्य को एन0एफ0एस0ए0 के तहत अनुमानित आबंटन के अलावा 3 लाख टन अतिरिक्त चावल के आबंटन की आवश्यकता है।

कम्प्यूटरीकरण

टी0पी0डी0एस0 कम्प्यूटरीकरण के घटक-I के तहत राशन कार्डों का डिजिटाईजेशन तथा आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो गया है। राज्य सरकार ने घटक -I के तहत अनुमेय शेष राशि को रिलीज करने का अनुरोध किया है। एफ0पी0एस0 स्वचालन के संबंध में यह सूचित किया गया कि अब तक राज्य में 7500 से अधिक एफ0पी0एस0 को स्वचालित बना दिया गया है और उन्हें **आईरिस रीडर** भी उपलब्ध करा दिया गया है। एफ0पी0एस0 स्वचालन के कारण वे प्रतिमाह 40 करोड़ रु0 की बचत करने में सक्षम हुए। इसके अलावा, आधार सीडिंग का प्रयोग करते हुए 67 लाख नकली/जाली कार्ड रद्द कर दिए जाने के कारण 300 करोड़ रु0 के खाद्यान्नों की बचत हुई। दूसरे चरण में राज्य सरकार ने राज्य की सभी 20,000 एफ0पी0एस0 को स्वचालित बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने एफ0पी0एस0 स्वचालन के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से 215 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता मांगी है। एक जिले में एन0आई0सी0 की तकनीकी सहायता से संबंधित मुद्दा भी उठाया गया।

अन्य मुद्दे

राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों के लिए आबंटन में बढ़ोतरी की मांग की जिसके लिए उन्हें संबंधित मंत्रालय अर्थात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से संपर्क करने का सुझाव दिया गया।

(iv) <u>बिहार:-</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय

खाद्य महंगाई, जमाखोरी, कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुसार स्टॉक सीमा अधिरोपित कर दी गई है। टमाटर, प्याज आदि जैसी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली खाद्य वस्तुओं के संबंध में स्टॉक सीमा तथा कीमतें निर्धारित करने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किए गए अपराध को गैर-जमानती बना दिया गया है। 13 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का सृजन किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

बिहार ने लगभग सभी प्रारंभिक गतिविधियों को पूरा करते हुए अधिनियम को आंशिक कवरेज सहित मार्च, 2014 से कार्यान्वित कर दिया है। अधिनियम के तहत 8.71 करोड़ के कवरेज में से राज्य ने प्रथम चरण में 7.60 करोड़ को कवर किया है तथा शेष 1.02 करोड़ को दूसरे चरण में कवर करने का प्रस्ताव है। दूसरे चरण में कवर किए जाने वाले प्रस्तावित 1.02 करोड़ अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए खाद्यान्न आबंटन संबंधी राज्य के अनुरोध पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने असहमति व्यक्त की है क्योंकि लाभार्थियों की सूची को डिजिटाईज्ड नहीं किया गया है और पी0डी0एस0 पोर्टल पर नहीं रखा गया है। लाभार्थियों की सूची को डिजिटाईज्ड न कर पाने और अपलोड न कर पाने संबंधी खामियों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने अंतरिम उपाय के रूप में अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए आबंटन में बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया है और अगस्त माह की समाप्ति तक डिजिटाईजेशन को पूरा करने का आश्वासन दिया है।

अन्य मुद्दे

राज्य ने कुछ स्थानों में खाद्यान्नों को लाने-ले-जाने के लिए रैक की उपलब्धता की समस्या के बारे में उल्लेख किया जिसके कारण खाद्यान्नों की अनुपलब्धता रही। भारतीय खाद्य निगम ने इस पर स्पष्ट किया कि भारतीय खाद्य निगम के डिपो में राज्य की डेढ़ महीने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न मौजूद है लेकिन राज्य इन वस्तुओं को अंदरूनी भागों तक ले जाने हेतु परिवहन की समस्या से त्रस्त है जिसके लिए आंतरिक परिवहन के लिए राज्य को और अधिक रैक उपलब्ध कराने हेतु मामला रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। जमूई जिले में गोदाम न होने की समस्या को भी उठाया गया। इस मुद्दे पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने इच्छा व्यक्त की, कि सभी जिलों में रैक और खाद्यान्नों की उपलब्ध सुनिश्चित करने के मामले पर ध्यान दिया जाए।

(v) छत्तीसगढ़

मूल्य नियंत्रण उपाय

चने को छोड़कर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। प्याज के वितरण के लिए पी0डी0एस0 का प्रयोग किया जाना चाहिए। दालों के संबंध में सब्सिडी बहाल की जानी चाहिए। 'जमाखोरी' और 'कालाबाजारी' को परिभाषित किया जाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित की जानी चाहिए। स्टॉक सीमा के संबंध में केन्द्र सरकार की सहमति प्राप्त करने की शर्त को हटा देना चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अपराधों को संक्षिप्त विचारण के उपबंधों सहित गैर-जमानती बनाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित कर दिया है। माननीय मंत्री द्वारा, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पी0डी0एस0 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि जिला स्तर पर शहरों में ऑनलाईन प्रणाली है तथा अन्य क्षेत्रों विशेषत: नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में ऑफलाईन प्रणाली है। अशांत क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। यथोचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार, संभाल कर रखे गए सभी रिकार्ड और शिकायतों, यदि कोई है, की त्वरित जांच करती है।

कम्प्यूटरीकरण

राज्य में वर्तमान में 11,000 एफ0पी0एस0 में से शहरी क्षेत्रों में स्थित 500 एफ0पी0एस0 को स्वचालित बना दिया गया है और उन्हें पोर्टेबिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है।

अन्य मुद्दे

राज्य ने केन्द्र सरकार द्वारा देय सब्सिडी भुगतान का उल्लेख किया और विशेषत: साईलोस के रूप में अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करने का अनुरोध किया है।

यह अनुरोध भी किया गया था कि केन्द्र सरकार 10 किलोग्राम दालों का आबंटन 20/-रु0 प्रति किलोग्राम की सब्सिडीकृत दर से करे।

(vi) हरियाणा:

मूल्य नियंत्रण उपाय

मूंग को छोड़कर, दालों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मूल्य वृद्धि उत्पाद संघों के कारण है। व्यापारियों द्वारा बनाए गए उत्पादक संघों को गंभीरता से लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय जमाखोरी और चोर बाजारी का भी समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

हरियाणा ने भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन किया है।

कम्प्यूटरीकरण:

यह उल्लेख किया गया था कि उन्होंने संपूर्ण लाभार्थी डाटाबेस को डिजिटाइज्ड कर दिया है और उसमें से 99% का सत्यापन कर लिया गया है। यह सुझाव दिया गया था कि प्वाइंट आफ सेल डिवाइस और मोबाइल टर्मिनल जिन्हें एफ.पी.एस. आटोमेशन के लिए प्रयोग किया जाना है को भी डी.जी.एस.एंड डी.रेट कान्ट्रैक्ट के तहत खरीदा जाए। इस प्रकार खरीदारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी होगा।

(vii) <u>हिमाचल प्रदेश:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय:

राज्य सरकार खाद्य वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर सतर्क है और जमाखोरों, चोर बाजारों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने आंशिक कवरेज के साथ फरवरी, 2013 से एन.एफ.एस.ए का कार्यान्वयन शुरु कर दिया है। कवरेज के लिए पहचाने गए अधिक लाभार्थियों के लिए एन.एफ.एस.ए के तहत आबंटन को बढाने हेतु उनके अनुरोध पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा इस आधार पर सहमति नहीं दी गई कि लाभार्थियों की डिजिटाइज्ड सूची को राज्य पोंटल पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया कि यह अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है, जो पहचाने गए सभी लाभार्थियों को सब्सीडीकृत खाद्यान्न प्राप्त करने में विधिक रूप से पात्र बनाता है। खाद्यान्नों के आबंटनों को डिजीटाइजेशन और लाभार्थी सूची को अपलोड करने से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि, अधिनियम के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं है।

संयुक्त सचिव (बी.पी एंड पी.डी) ने राज्य सरकार का ध्यान माननीय उच्च्तम न्यायालय के दिनांक 14.09.2011 के आदेश की ओर दिलाया, जिसमें राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण को पूर्ण करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों को तीन माह के अंदर कुछेक कार्यकलापों को पूर्ण करने के भी निदेश दिए गए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राशन कार्डों के डिजिटाइज्ड डाटाबेस को वेबसाइट सहित पब्लिक डोमेन पर रखना भी शामिल है। राज्य सरकार का ध्यान, पहचाने गए पात्र घरों की सूची और पी.डी.एस. संबंधी सभी रिकार्ड भी पब्लिक डोमेन पर रखने के संबंध में एन.एफ.एस.ए की धारा 11 और 27 के उपबंधों की ओर भी ध्यान दिलाया गया। अधिनियम की धारा 38 केन्द्रीय सरकार को अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने में सशक्त बनाती है, जिनका अनुपालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसलिए, एन.एफ.एस.ए के कार्यान्वयन के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का निर्णय अधिनियम के उपबंधों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुरूप है।

कम्प्यूटरीकरण

राज्य का दल अनुप्रयोग साफ्टवेयर के संबंध में कठिनाईयों का सामना कर रहा है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र अपेक्षित सहायता प्रदान करने में असमर्थ रहा। यह सूचित किया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर 03.07.2015 तक उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित था किन्तु यह अभी भी लंबित है। उप महानिदेशक, एन.आई.सी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के साथ तैयार है और इसे राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सुविधा के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(viii) <u>जम्मू और कश्मीर:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय: कोई सूचना नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज, ग्रामीण क्षेत्रों में 63.55% और शहरी क्षेत्रों में 47% है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल की गई जनसंख्या 74 लाख है और अधिनियम के तहत वार्षिक आबंटन 7.51 लाख रुपए है जिसमें अंतर को पूरा करने के लिए 2.72 लाख रुपये का आबंटन भी शामिल है। यह उल्लेख किया गया कि यह आबंटन पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्य को 100 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न प्रदान करना होता है जिसके लिए 9.71 लाख टन खाद्यान्नों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किया जाने वाला खाद्यान्नों का औसत आबंटन 35 कि0 ग्रा0 प्रति परिवार, प्रति माह के मानदंड की तुलना में कम होकर 27 कि0 ग्रा0 प्रति परिवार हो जाने की संभावना है। अत:, कवरेज को ग्रामीण क्षेत्रों में 90% तक और शहरी क्षेत्रों में 75% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

राज्य सरकार ने लाभार्थियों की पहचान करने के लिए समावेशन और बहिस्करण आधार को अंतिम रूप दे दिया है।

अधिनियम का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य को एक और वर्ष के समय की आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) ने राज्य सरकार को इस अधिनियम का कार्यान्वयन शीघ्र आरम्भ करने की सलाह दी कि ताकि इसके लाभ बिना किसी विलंब के लोगों तक पहुंचने शुरु हो सकें।

कम्प्यूटरीकरण

यह उल्लेख किया गया था कि जम्मू और कश्मीर एक पहाड़ी राज्य है,जो उग्रवाद से प्रभावित है। अत: वित्तीय सहायता प्रदान करने के तरीके के लिए इसे पूर्वोत्तर राज्यों के समान समझा जाए अर्थात इसे 50:50 आधार की बजाय 90:10 आधार पर निधियां प्रदान की जाएं।

(ix) <u>झारखंड:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय: कोई सूचना नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

राज्य पहले चरण में 8 जिलों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रारम्भ करना चाहता है जिसके लिए एक प्रस्ताव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के विचाराधीन है। यह अनुरोध किया गया था कि एन.एफ.एस.ए के तहत 5 कि0 ग्रा0 प्रति व्यक्ति, प्रति माह के मौजूदा मानदंड को बढाकर, अधिकतम 35 कि0 ग्रा0 प्रति परिवार, प्रति माह की सीमा निर्धारित करते हुए, 7 कि0ग्रा0 प्रति व्यक्ति, प्रति माह किया जाए। इसके अलावा, राज्य को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल चावल की बजाय गेहूं का आबंटन भी किया जाना चाहिए।

कम्प्यूटरीकरण

यह सूचित किया गया कि आधार के साथ 80% जोड़ते हुए लगभग 35 लाख कार्डों को डिजिटाइज्ड किया जा चुका है राज्य, लाभार्थी डाटा के डिजिटाइजेशन के लिए एस.ई.सी.सी आंकड़ों को लेवेरिजिंग कर रहा है किन्तु इसमें, खास तौर पर शहरी क्षेत्रों के आंकड़ों के संबंध में अनेक त्रुटियां हैं। जहां तक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का संबंध है, राज्य अगस्त, 2015 तक डिपो कोड मॉड्यूल को ऑनलाइन कर देगा। राज्य सरकार की, मार्च, 2015 तक सभी एफ.पी.एस.एस को स्वचालित बनाने की योजना है।

अन्य मुद्दे:

राज्य में गोदामों की कमी है और अधिक गोदामों के निर्माण के लिए उन्हें केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता है।

हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य खाद्य विभाग के क्षेत्र के तहत आता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम स्वास्थ्य मंत्रालय के दायरे में आता है। तथापि, वास्तविक प्रक्रिया में एफ.एस.एस.ए संबंधी किसी भी समस्या को भी राज्य खाद्य विभाग को भेज दिया जाता है। अत:, यह सुझाव दिया गया कि एफ.एस.एस.ए को भी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए। अन्य राज्यों ने भी इस सुझाव से सहमति जताई।

(x) <u>कर्नाटक:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय: कोई सूचना नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

कर्नाटक ने जनवरी, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित किया है। राज्य लाभार्थियों को 5 कि0 ग्रा0 खाद्यान्न, 1 कि0 ग्रा0 नमक और 1 लीटर किरोसीन तेल मुफ्त प्रदान कर रहा है। राज्य के अनुभव से पता चलता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है।

कम्प्यूटरीकरण

राज्य ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यों के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण को कार्यान्वित किया है। वर्तमान में, राज्य आधार और ई.पी.आई.सी संख्याओं दानों को एकत्रित कर रहा है उसे लाभार्थी डाटा बेस में शामिल कर रहा है। अभी तक, लगभग 80% लाभार्थियों के बारे में सूचना एकत्रित कर ली गई है और अगले 2 माह में शामिल कर ली जाएगी। नकली कार्डों को रद्द करने से राज्य को 500 करोड़ रुपए की बचत हुई है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण के घटक –I के कार्यान्वयन के लिए राज्य के प्रतिनिधियों ने अपनी निधियों का उपयोग किया था। इसी प्रकार, राज्य में अभी तक 3,000 एफ.पी.एस को स्वचालित कर दिया गया है। यह सूचित किया गया कि संपूर्ण लाभार्थियों की सूची और एफ.पी.एस. वार आबंटन के ब्यौरे पोर्टल पर उपलब्ध हैं और आपूर्ति श्रृंखला को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को लक्षित सार्वजनिक प्रणाली कम्प्यूटरीकरण के घटक –I और II के तहत राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया गया था।

यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र टीम को उच्चतर स्तर पर हस्तक्षेप की प्रतीक्षा किए बिना तकनीकी मामलों में और अधिक अग्रसक्रिय होने की आवश्यकता है। उप महानिदेशक , राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने सूचित किया कि राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए संपूर्ण अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को केवल राज्य की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की टीम द्वारा विकसित किया गया है। जहां तक वर्तमान मुद्दों का संबंध है, उन्होंने उल्लेख किया कि वह मामले की जांच करेंगे और राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ परामर्श करके उसका समाधान करेंगे।

(xi) <u>केरल:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय:

आटा और चीनी घर-घर प्रदान किए जा रहे हैं। उपभोक्ता मामले विभाग को और अधिक धन दिया जाए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

यह सूचित किया गया कि राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। राज्य 82 लाख राशन कार्डों की समीक्षा और प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान कर रहा है। विद्यमान राशन कार्डों को नवीकृत किया जा रहा है और राज्य ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए कैम्पों का भी आयोजन किया है। प्रायोगिक आधार पर डोर-स्टेप डिलीवरी आरम्भ की गई है। राज्य ने अपनी ऑन लाइन वितरण प्रणाली विकसित की है। राज्य में खाद्य आयोग के गठन का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नियमों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया था कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के अतिरिक्त आटा और चीनी भी प्रदान कर रहे हैं।

यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आबंटन को प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के लिए बढ़ाकर 7 कि0 ग्रा0 प्रति व्यक्ति कर दिया जाना चाहिए।

हालांकि राज्य 30.09.2015 तक अधिनियम को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगा, अंतिम तारीख को एक माह आगे बढ़ाया जा सकता है।

कम्प्यूटरीकरण:

राज्य सरकार ने लाभार्थियों से नये प्रपत्र मांगे थे जो डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में थे।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन के लिए अधिक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मुख्यालय के अधिकारियों ने मुद्दों का समाधान करने के लिए राज्य का दौरा किया था किन्तु वे मुद्दे अभी भी यथावत् हैं। उप महानिदेशक , राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की टीम, राज्य की टीम को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है।

(xii) <u>लक्षद्वीप:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय - कोई सूचना नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

यह सूचित किया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन की सभी पूर्व – अपेक्षाएं पूर्ण कर ली हैं और खाद्यान्नों के आबंटन के लिए एक प्रस्ताव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजा गया है। संघ राज्य क्षेत्र अपने प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

(xiii) <u>मध्य प्रदेश:</u>

मूल्य नियंत्रण उपाय:

स्टॉक सीमाएं अधिरोपित कर दी गई हैं उपभोक्ता मंचों में न्यायाधीशों के पास कार्य बहुत अधिक है। और अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है। संख्या को बढ़ाया जाए।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन:

राज्य पहले से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित कर रहा है। आशा है कि नवम्बर, 2015 तक सभी एफ.पी.एस.एस में पी.ओ.एस स्थापित कर दिए जाएंगे और इससे खाद्यान्नों की चोरी की समस्या का समाधान होगा।

(viv) पंजाब

मूल्य नियंत्रण उपाय:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले गोदामों की नियमित जांच की जाती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन:

यह सूचित किया गया कि केन्द्रीय पूल के खाद्यान्नों में राज्य का योगदान सबसे अधिक है। राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कार्यान्वित किया है और अधिनियम के तहत, छ: माह का कोटा, 30 कि0 ग्रा0 के बैगों में, लाभार्थियों को इकट्ठा दिया जा रहा है। राज्य रंगीन टैग लगे बैगों का उपयोग कर रहा है ताकि यह पहचान करना संभव हो सके कि कौन सा बैग किस भंडारण वर्ष का है और कौन सी मंडी से है। 30 कि0 ग्रा0 की पैकिंग से धन की बहुत अधिक बचत हुई है।

कम्प्यूटरीकरण:

यह उल्लेख किया गया कि राज्य टीम ने आधार कार्ड आधारित राशन कार्ड डाटाबेस का सृजन किया है और यह प्रणाली लाभार्थियों की आधार डाटाबेस में उपलब्ध फोटोग्राफ लेने में सक्षम है। इसने लाभार्थियों के राशन कार्डों पर उनके फोटोग्राफ लगाने में राज्य को मदद मिली है।

अन्य मुद्दे:

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली खाद्य सब्सिडी की बकाया राशि को शीघ्र रिलीज किया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार को नयी अधिप्राप्ति में किसी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े।

(xv) पश्चिम बंगाल:

मूल्य नियंत्रण उपाय:

माओवादी उग्रवाद से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 2/- रूपए प्रति कि0 ग्रा0 की दर से चावल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। भंडारण क्षमता की कमी है। 33 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, 25 लाख मीट्रिक टन की और खरीद की जानी है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

राज्य ने 7 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्ययन का कार्य शुरु कर दिया है। तथापि, यह सूचित किया गया कि वे दिसम्बर, 2015 तक सभी जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर करने में सक्षम हो जाएंगे न कि सितम्बर, 2015 तक जैसा कि पहले बताया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवरेज पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। यह भी अनुरोध किया गया कि खाद्यान्नों के आबंटन में चावल और गेहूं के अनुपात को 60:40 से बदलकर 80:20 किए जाने की आवश्यकता है।

कम्प्यूटरीकरण

यह सूचित किया गया कि उन जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के डाटाबेस को डिजिटाइज्ड किया जा चुका है और यह पोर्टल पर उपलब्ध है।

अन्य मुद्दे

राज्य ने खासतौर पर जंगल महल क्षेत्र में पी.ई.जी के गोदामों की आवश्यकता व्यक्त की थी। राज्य द्वारा धान की अधिक मात्रा में संभावित खरीद की दृष्टि से अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) ने पश्चिम बंगाल में पी.ई.जी के तहत गोदामों के निर्माण के संबंध में मंत्रालय के अधिकारियों से जानकारी मांगी। यह सूचित किया गया कि चूंकि धान के मामले में पश्चिम बंगाल डी.सी.पी राज्य है, भारत खाद्य निगम वहां पर कोई पी.ई.जी गोदाम सृजित नहीं कर रहा है। माननीय मंत्री (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण) ने इच्छा व्यक्त की, कि भंडारण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए भारतीय खाद्य निगम के कार्यकारी निदेशक द्वारा राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ अलग से एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए।

(xvi) सिक्किम:

मूल्य नियंत्रण उपाय: कोई सूचना नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यन्वयन

राज्य ने उल्लेख किया कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के अंतिम चरण में हैं। तथापि, पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां परिवहन की समस्या है। राज्य, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 30 दिसम्बर, 2015 तक कार्यान्वित करने में समर्थ होगा।

कम्प्यूटरीकरण

राज्य सरकार राज्य में संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण शुरु करने की इच्छुक है किन्तु उन्हें नेटवर्क कनेक्टिीविटी संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

(xvii) अरुणाचल प्रदेश:

मूल्य नियंत्रण उपाय: कोई सूचना नहीं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

यह बताया गया कि पहाड़ी क्षेत्र के कारण उन्हें परिवहन संबंधी कुछ समस्याएं हैं और इसलिए राज्य को कुछेक क्षेत्रों में खाद्यान्नों को पहुंचाने के लिए हेलिकाप्टर तैनात करने पड़ते हैं अथवा सिर पर बोझा ढ़ोने का सहारा लेना पड़ता है। राज्य अधिनियम को 31.03.2016 तक कार्यान्वित करने में समर्थ होगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2200 मीट्रिक टन चावल की वार्षिक कमी होगी और राज्य के कोटे को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अंतर-राज्य परिवहन और एफ.पी.एस डीलर के लिए मार्जिन पर होने वाले व्यय में केन्द्र और राज्य के बीच भागीदारी के अनुपात में संशोधन करते हुए उसे 75:25 से बढ़ाकर 90:10 किए जाने की आवश्यकता है।

कम्प्यूटरीकरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य द्वारा निविदा/बोली आमंत्रित की गई है।

(xviii) राजस्थान:

मूल्य नियंत्रण उपाय

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत न आने वाली वस्तुएं भी उचित दर की दुकानों के जरिए वितरित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन

राजस्थान राज्य द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन पहले से ही किया जा रहा है। राज्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत न आने वाली वस्तुएं भी एन.एफ.एस.ए के तहत उपलब्ध करा रहा है।

अन्नपूर्णा श्रेणी को 35 कि0 ग्रा0 खाद्यान्न भी प्रदान किए जा रहे हैं।

कम्प्यूटरीकरण :-

राशन कार्डों के डिजिटाईजेशन का कार्य अगस्त 2015 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(xix) अन्य राज्य

समय की कमी के कारण, अध्यक्ष ने शेष राज्यों से वह तारीख बताने का अनुरोध किया जब तक वे एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन करने में सक्षम हो जाएंगे। एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा दी गई तारीखें निम्नानुसार है:-

(i) असम- अक्तूबर, 2015
(ii) अंडमान एंड निकोबार एवं द्वीपसमूह – सितम्बर, 2015
(iii) मेघालय – सितम्बर, 2015
(iv) मिजोरम – दिसम्बर, 2015
(v) नागालैण्ड – अक्तूबर, 2015
(vi) पुडुचेरी – अगस्त, 2015
(vii) तेलंगाना – सितम्बर, 2015
(viii) तमिलनाडु – 1 ½ - 2 साल
(ix) उत्तर प्रदेश – दिसम्बर, 2015

मूल्य नियंत्रण उपायों पर कोई सूचना नहीं मांगी जा सकी। सभी राज्यों से इस सम्बन्ध में लिखित जानकारी बाद में भिजवाने के लिए कहा गया।

8. बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् यह उल्लेख किया गया कि:

क. प्रति वर्ष अधिकतम मांग की अवधि अर्थात् जुलाई – दिसम्बर के बीच, आम उपयोग की आवश्यक वस्तुओं जिनमें सब्जियां (प्याज, टमाटर, आलू), अनाज (चावल, ज्वार और बाजरा), दालें (मसूर, तूर और मूंग दाल) और खाद्य तेल शामिल हैं, की उपलब्धता के लिए संयुक्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

ख. यह उल्लेख किया गया कि यह अवधि त्यौहारों के मौसम के साथ होती है जिसके कारण भी मांग अधिकतम हो जाती है।

ग. बाजार में मध्यस्थतों – मण्डी व्यापारियों, थोक बिक्री व्यापारियों और ए.पी.एम.सी. यार्डों द्वारा कृत्रिम भंडारों के सृजन की संभावना होती है।

घ. राज्य के ए.पी.एम.सी. कानून, खाद्य अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में बाधा हैं। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार का सृजन करने और खाद्य मंहगाई को कम करने के लिए - कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम

(ए.पी.एम.सी.अधिनियम) में संशोधन करने, व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने और खुदरा व्यापार में प्रभावकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

ड. अत:, यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य द्वारा चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर पर्याप्त आपूर्ति को बनाए रखने के लिए की जाने वाली अपेक्षित कार्रवाई की विस्तृत **योजना** की रूप रेखा तैयार की जाए और सही समय पर बाज़ार हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के समन्वय से इसकी निगरानी की जाए।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

i) एन.एफ.एस.ए. में योग्य परिवारों की पहचान के निर्धारित की गई एक वर्ष की अवधि को तीन बार बढ़ाया जा चुका है, क्योंकि कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रक्रिया और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अन्य प्रारंभिक उपायों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 30.09.2015 तक की विस्तारित अवधि में इसे कार्यान्वित करने के सभी आवश्यक उपाय कर लेने चाहिए।

ii) जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन अभी बाकी है, उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए अतिरिक्त आबंटन 30.09.2015 तक दिया गया है, इस समय तक उनके द्वारा एन.एफ.एस.ए. का कार्यान्वयन कर लिए जाने की आशा है।

iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मे में अधिनियम के कार्यान्वयन की अपनी तैयारी को प्रमाणित करना अपेक्षित है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न के आबंटन के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले तैयारी से सम्बन्धित की सभी मदों को प्रोफार्मे में भर दिया गया है।

iv) एन.एफ.एस.ए. के कार्यान्वयन की शर्तों में से एक - टी.पी.डी.एस. संचालन के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की चल रही योजना के अंतर्गत सभी गतिविधियों का पूर्ण होना है जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों और सार्वजनिक वितरण स्कीम से संबंधित सूचना को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने से संबंधित एन.एफ.एस.ए. के उपबंधों के अनुकूल है।

v) रिट याचिका (सिविल) 2001 की सं. 196 पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.09.2011के आदेश http://fcs.uk.gov.in/upload/doc/Document-9.pdf. पर उपलब्ध है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र टी.पी.डी.एस. के सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण को समयबद्ध तरीके से अवश्य पूरा करें। डिजीटाईजेशन , डोर-स्टेप डिलीवरी, एक पी.डी.एस. पोर्टल का सृजन, कॉल सेंटर इत्यादि जैसी गतिविधियों को तीन माह में पूरा कर लिया जाए। यह आदेश स्पष्ट करता है कि डिजीटाईज्ड डाटाबेस को वेबसाइट सहित पब्लिक डोमेन पर रखा जाए।

vi) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा टी.पी.डी.एस. कम्प्यूटरीकरण की चल रही योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के तहत प्रगति से संबंधित प्रस्तुत की गई सूचना पी.डी.एस. पोर्टल पर मौजूद नहीं है। अत: पोर्टल पर उपलब्ध सूचना को ही प्रामाणिक माना जाएगा।

vii) ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिन्होंने टी.पी.डी.एस. कम्प्यूटरीकरण स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता प्राप्त की है, यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने समरूप भाग दे दिया है। उनके द्वारा व्यय की गति सुधारने और केन्द्रीय सहायता

की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए पहले से जारी की गई निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता है।

viii) लाभार्थी के डाटा बेस की पुन: आवृति से बचने और नकली/जाली राशन कार्डो रद्द करने के लिए, टी.पी.डी.एस. लाभार्थी के डाटा बेस में उपलब्ध 'आधार' नम्बर दिया जाना चाहिए। जहां 'आधार' नम्बर देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहां कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में अधिक नामांकन कैम्प लगाने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले को यू.आई.डी.ए.आई. के साथ उठाना चाहिए।

ix) उचित मूल्य की दुकानों में स्थापित किए गए पी.ओ.एस. डिवाईस के माध्यम से लाभार्थियों के बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के लिए 'आधार' को लाभार्थी के डाटा बेस में उपलब्ध कराना भी आवश्यक है, जिसके लिए तकनीकी विनिर्देशनों और केन्द्रीय सहायता की पद्धति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

x) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मार्च 2016 तक एक तिहाई जिलों में पी.ओ.एस. डिवाईसों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उन्हें तिमाही कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक तिमाही में कवर किए जाने वाले जिलों के नाम प्रदर्शित हो और इसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ साझा किया जाए।

xi) सितम्बर, 2015 तक पी.ओ.एस. की स्थापना के लिए ऐसे जिलों से शुरुआत की जानी चाहिए जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक को 'आधार' से जोड़ा गया हो। ऐसे प्रगतिशील जिलों की सूची यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

xii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बायोमेट्रिक से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक लेन-देन के लिए उचित मूल्य की सभी दुकानों पर पी.ओ.एस./स्मार्ट डिवाइस को समयबद्ध तरीके से स्थापित किया जाना है और वे इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर लें। तथापि, चर्चा के अनुसार वे पात्र व्यक्ति को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से नकद राशि हस्तांतरित करने के विकल्प का भी चयन कर सकते हैं।

xiii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों और कल्याणकारी संस्थानों के लिए आबंटन के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के बारे सूचित किया गया था, जिसके अनुसार ऐसे आबंटन केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की सिफारिशों पर किए जाएंगे। इसलिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों को भेजे जाने चाहिएं।

9. <u>बैठक के निष्कर्ष:</u>

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री राम विलास पासवान ने खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए केन्द्र सरकार और राज्यों के बीच समन्वित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया गया तो यह अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान तथा संवितरण न्याय में सुधार के लिए पहले से की गई विभिन्न पहलों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर सकती है। इसलिए सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से इस चुनौती से निपटने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य एक संयुक्त कार्य योजना विकसित करना और जहां तक संभव हो इसके कार्यान्वयन को जिला स्तर ले जाना है।

2. यह उल्लेख करते हुए कि प्रतिवर्ष जुलाई और नवम्बर के बीच शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है,श्री पासवान ने उल्लेख किया कि खाद्य मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने पहले ही अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि गत वर्ष 4 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय परामर्शी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में केन्द्र और राज्यों द्वारा आरंभ किए गए उपायों ने खाद्य मूल्यों को कम करने में मदद की है। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की उचित और संतुलित मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में राज्य सरकारों की जिम्मेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगले छ: माह की अवधि, देश भर में त्यौहारों के मौसम के साथ होने से इस अवधि के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है इसलिए, जमाखोरी और चोरी बाजारी को रोकने के साथ-साथ इस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण चैनलों को सुदृढ़ करने के उपाय करना आवश्यक है।

3. बैठक में 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और उपभोक्ता मामलों के सचिवों के अलावा बैठक में 16 राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया। कुछेक राज्यों ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार और मूल्यों को संतुलित करने के उपायों पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

4. बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर दिया गया। यह उल्लेख किया गया कि 12 राज्यों ने पहले ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वित कर दिया है जबकि अन्य राज्यों में इसका कार्यान्वयन प्रगति पर है। श्री राम विलास पासवान ने सभी राज्यों से 30 सितम्बर, 2015 तक की समय सीमा का अनुपालन करने का अनुरोध किया।

5. राज्यों ने यह संकल्प पारित किया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. को उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाए और प्रधानमंत्री जी को राज्यों के विचारों से अवगत कराया जाए।

जुलाई- दिसम्बर 2015 के बीच की छमाही अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर उपलब्धता को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वीकार की गई कार्य योजना निम्नलिखित है:

क) कार्य योजना में दालों, खाद्य तेलों, चावल, प्याज, टमाटर और आलू को कवर किया जाएगा।

ख) जमाखोरी और चोरीबाजारी के विरुद्ध सतत् कार्रवाई की जाएगी और राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा चोरबाजारी निवारण अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन किया जाएगा।

ग) राज्यों द्वारा अपूर्ति की कमी वाले संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विशेष रूप से आम उपभोग की वस्तुओं के संबंध में "स्टॉक आऊट" की स्थिति उत्पन्न न हो।

घ) इन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य के विभिन्न नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त विकेन्द्रीकृत स्टॉक का रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए, राज्यों द्वारा, सरकारी/निजी/सहकारी भंडारण अवसंरचना का उपयोग करके विद्यमान भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाएगा। राज्य, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के वितरण की संभावनाओं का उन्नयन करने के लिए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगमों, सहकारी समितियों तथा उचित दर की दुकानों का भी उपयोग करेंगे।

ङ) मंडियों के थोक मूल्यों और राज्य के विभिन्न भागों से प्राप्त किए गए खुदरा मूल्यों के आधार पर इन विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने के लिए राज्यों में विद्यमान मूल्य निगरानी प्रकोष्ठों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। इससे राज्य उचित समय पर बाजार हस्तक्षेप करने में सक्षम हो सकेंगे।

च) प्याज, आलू और टमाटर के आंतरिक व्यापार के संबंध में अंतर-राज्यीय प्रतिबंधों को हटाने के संदर्भ में ए.पी.एम.सी. अधिनियम की पुनरीक्षा की जाएगी।

छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कार्यान्वित नहीं हुआ है, कि प्रगति की माननीय मंत्री द्वारा समीक्षा की गई और उन्होंने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि अधिनियम को विस्तारित अवधि अर्थात् 30.09.2015 तक कार्यान्वित कर दिया जाए। अधिकांश राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों ने समय सीमा के अंदर कार्यान्वयन करने का आश्वासन दिया है।

ज) इसके अलावा, टी.पी.डी.एस. संचालनों के कम्प्यूटरीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। माननीय मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्यान्नों की लीकेज को राकने और विपथन की निगरानी करने तथा तन्त्र में पारदर्शिता और व्यवहार्यता लाने के लिए इसको समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना अनिवार्य है। इसको समय पर पूरा किए जाने की आवश्यकता पर व्यापक रूप से सहमति व्यक्त की गई। लाभार्थी के डाटा बेस में आधार नं. देने और लाभार्थियों के अधिप्रमाणन के लिए उचित मूल्यों की दुकानों पर पी.ओ.एस. डिवाईसों को स्थापित किए जाने और लेन-देन की इलैक्ट्रानिक रिकार्डिंग पर भी चर्चा की गई।

झ) कुछ राज्यों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों और कल्याणकारी संस्थानों के लिए अधिक आबंटन की मांग की है। उन्हें सरकार के हाल ही के निर्णय के बारे सूचित किया गया था, जिसके अनुसार ऐसे आबंटन केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की सिफारिशों पर किए जाएंगे। इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयों को भेज जाने चाहिए।

10. केन्द्र सरकार, राज्यों के साथ कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन को व्यापक रूप से समन्वित करेगी। संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, राष्ट्रीय केन्द्र बिंदु होंगे और अगले छ: महीनों में आवश्यक वस्तुओं की प्रभावी मूल्य निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के आयुक्त को राज्य केन्द्र बिंदु के रूप में पदनामित करने की सलाह दी गई।

11. धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

दिनांक 07.07.2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठक

<u>प्रतिभागियों की सूची</u>

क्रम संख्या	**नाम**	
1	श्री राम विलास पासवान	उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री - अध्यक्ष
2	श्री राधा मोहन सिंह	कृषि मंत्री – मुख्य अतिथि
राज्यों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री		
3	श्री श्याम रजक	बिहार
4	श्री पुन्नुलाल मोहले	छत्तीसगढ़
5	श्री भूपेन्द्र सिंह चुदासमा	गुजरात
6	श्री राम बिलास शर्मा	हरियाणा
7	श्री संजय कुमार दास बर्मा	ओडिशा
8	श्री कुंवर विजय शाह	मध्य प्रदेश
9	श्री आदेश प्रताप सिंह कैरों	पंजाब
10	श्री चौधरी जुल्फकार अली	जम्मू एवं कश्मीर
11	श्री सरयू रॉय	झारखंड
12	श्री दिनेश गुंडु राव	कर्नाटक
13	श्री/श्रीमती ज्योति प्रिया मलिक	पश्चिम बंगाल
14	श्री अनूप जैकब	केरल
15	श्री हेम सिंह भड़ाना	राजस्थान
16	श्रीमती पृतला सुनितम्मा	आंध्र प्रदेश
केंद्र सरकार के अधिकारी		
17	श्री सी. विश्वनाथ	सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
18	श्रीमती चंद्रलेखा मालवीय	प्रधान सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग
19	श्रीमती अरूणा सेठी	प्रधान सलाहकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
20	श्री पी.के. झा	अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
21	श्री जी. गुरूचरण	अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
22	यू.के.एस. चौहान	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
23	श्रीमती भारती दास	मुख्य लेखा नियंत्रक एवं संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
24	श्री संजय लोहिया	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग
25	श्री शुभाशीष पांडा	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
26	श्री दीपक कुमार	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
27	श्रीमती रचना चोपड़ा	सलाहकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
28	श्री निलंबुज शरण	आर्थिक सलाहकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
29	श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी	मुख्य प्रबंधक निदेशक, स्वतंत्र प्रभार, भारतीय खाद्य निगम
30	श्री संजीव हंस	निजी सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

31	श्री आर.सी. मीणा	विशेष कार्य अधिकारी, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
32	डॉ0 गौतम घोष	उप महानिदेशक (एन.आई.सी.), एन.आई.सी.
33	श्री एस.के. सिंह	वरिष्ठ उप-प्रबंधक, ई.सी.आई.एल.
34	श्री जी.एस. शेखावत	निदेशक, डी.बी.टी., व्यय विभाग
35	श्री आशीष बनाटी	निदेशक, एस.टी.क्यू.सी., इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
36	श्री वी.बी.वी.सी. राव	वरिष्ठ तकनीकी निदेशक/वैज्ञानिक-एफ, एन.आई.सी.
37	श्रीमती प्रिया नायर	आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
38	श्री रवि गुप्ता	वैज्ञानिक-सी, एन.आई.सी.
39	श्री रबि रंजन	अनुसंधान अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
40	श्री विवेकानंद	ए.सी.जी.ए., पी.एफ.एम.सी. कक्ष, सी.जी.ए. विभाग
41	श्री संजय कुमार दास	आर्थिक अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
42	श्री एस. अक्कायी	आर्थिक अधिकारी, वित्त मंत्रालय
43	श्री आलोक शर्मा	परियोजना प्रबंधक सिक्किम, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
राज्य सरकारों के अधिकारी		
44	श्री एस.एस. प्रसाद	अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति, हरियाणा
45	श्री इंजीनियर मार्को ताडो	प्रधान सचिव, अरूणाचल प्रदेश
46	श्री पी.डब्ल्यू इंगती	प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, मेघालय सरकार
47	श्री अशोक बर्णवाल	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार
48	श्री दीपक कपूर	प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार
49	श्रीमती राधा रतूरी	प्रधान सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखंड
50	श्री शिव दास मीणा	प्रधान सचिव, खाद्य, तमिलनाडू सरकार
51	श्री एम.के. दास	प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, गुजरात सरकार
52	श्री जी. कमल यू. राव	सचिव, नागरिक आपूर्ति, केरल
53	श्री मधु सुदन पाधी	सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, ओडिशा
54	श्री सौरभ भगत	सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
55	डॉ0 रजत कुमार	सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), तेलंगाना सरकार
56	श्रीमती भावना गर्ग	सचिव खाद्य, चंडीगढ़
57	श्री के. रामगोपाल	उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हैदराबाद, सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार
58	श्री विनय कुमार चौबे	सचिव (खाद्य एवं उपभोक्ता मामले), झारखंड सरकार
59	श्री ए.जी. अनिलाल	विशेष सचिव, केरल सरकार
60	डॉ0 कमलप्रीत सिंह	विशेष सचिव, खाद्य, छत्तीसगढ़ सरकार

61	श्री बी.के. त्रिपाठी	विशेष सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
62	श्री संजीव कुमार	आयुक्त (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), दिल्ली सरकार
63	डॉ0 मनोहर अगनानी	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, मध्य प्रदेश सरकार
64	श्री राजेश प्रसाद	आयुक्त एवं सचिव, असम सरकार
65	श्री अजय चौहान	आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तर प्रदेश सरकार
66	श्री गोपालकृष्णन एस.	आयुक्त, नागरिक आपूर्ति, तमिलनाडू सरकार
67	श्री श्याम जगन्नाथन	आयुक्त एवं निदेशक, केरल
68	श्री एस.एस. घोनक्रोक्ता	विशेष आयुक्त (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), दिल्ली सरकार
69	श्री सतीश	सलाहकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सिक्किम सरकार
70	श्री सतीश चंद्र राय	सलाहकार, सिक्किम सरकार
71	श्री ए.टी. जेम्स	प्रबंध निदेशक, नागरिक आपूर्ति, केरल
72	श्री एस.एस.आर. श्रीनिवास	वरिष्ठ उप-महाप्रबंधक, बी.ई.एल., बेंगलौर
73	श्री एच. राजेश प्रसाद	प्रशासक, लक्षद्वीप, संघ क्षेत्र
74	श्री एम. शिवकुमार	एम (एस.आर.एस.), सी.आर.एल.-बी.ई.एल., बेंगलौर
75	श्री अरविंद कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक, एस.एफ.सी., बिहार
76	श्री आर.एस.पी. दफ्तौर	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार
77	श्री आर.के. मौर	विशेष कार्य अधिकारी, मणिपुर सरकार
78	श्री उमाकांत	विशेष कार्य अधिकारी, मिजोरम सरकार
79	श्री फारूख़ अहमद	विशेष कार्य अधिकारी, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
80	श्रीमती प्रतिभा सिंहा	विशेष कार्य अधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार
81	श्री जी.राम बेतोव	निदेशक, नागरिक आपूर्ति, आंध्र प्रदेश सरकार
82	श्री विकास गौनेकार	निदेशक, सी.एस. एंड जे.एस., गोवा सरकार
83	श्री जाकिर मलिक	निदेशक, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
84	श्री लियोन बोरंग	निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आंध्र प्रदेश सरकार
85	श्री राजीव बंसल	प्रधान रेजीडेंट आयुक्त, नागालैण्ड सरकार
86	श्री पी. प्रियदर्शनी	अपर सचिव सह निदेशक, पुडुचेरी सरकार
87	श्री विल्फ्रेड खाइलुप	निदेशक (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), शिलांग, मेघालय सरकार
88	श्री रमेश चंद्र	अपर सचिव, सरकार, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
89	श्री असर पाल सिंह	अपर रेजीडेंट आयुक्त, लक्षद्वीप
90	श्रीमती सिमरजोत कौर	संयुक्त निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, पंजाब
91	श्री आर.सी. मीणा	उप सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), दमन एवं दीव संघ क्षेत्र प्रशासन

92	श्रीमती प्रियंका कुमारी	उप सचिव (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति), दादरा एवं नगर हवेली
93	श्री अनिल वर्मा	प्रधान सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पश्चिम बंगाल सरकार
94	श्री एन. रामचंद्रा रेड्डी	मंत्री के निजी सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का कार्यालय, आंध्र प्रदेश
95	श्री जयपाल सिंह	उप निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, हरियाणा
96	श्री सत्यपाल कलोरिया	उप निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन
97	श्री जाकिर मलिक	जनसंपर्क अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर सरकार
98	डॉ0 कल्पना जी.	प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, कर्नाटक
99	श्री संदीप घोष	कंसल्टेंट, टी.पी.डी.एस., असम सरकार
अन्य संगठनों के प्रतिनिधि		
100	श्री सुरेश मिश्रा	चेयरमैन प्रोफेसर, आई.आई.पी.ए.

i) **आंध्र प्रदेश**

राज्य में सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के संबंध में, यह सूचित किया गया कि कम्प्यूटरीकरण स्कीम के सभी महत्वपूर्ण पहलूओं का कार्यान्वयन कर दिया गया है। वे आनलाइन आबंटन कर रहे हैं, वाहन ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें जी.पी.एस. का उपयोग शामिल है, स्थापित किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत, निर्धारित रूट से किसी विपथन के मामले में, एस.एम.एस. संदेश भेजे जाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि 98% लाभार्थियों को आधार से जोड़े जाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। एफ.पी.एस. के स्वचलन के संबंध में, पहले चरण 75,00 एफ.पी.एस. को कवर किया गया है और दूसरे चरण में राज्य सरकार ने सभी एफ.पी.एस. को कवर करने का निर्णय लिया है।

ii) **मध्य प्रदेश**

क. राज्य सरकार ने वर्ष के अंत तक राज्य में सभी 22,165 एफ.पी.एस. के स्वचालन के लिए एजेंसियों को सूची तैयार की है। एजेंसियों के चुनाव की प्रक्रिया अगस्त 2014 में आरम्भ की गई थी और इसे पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगा।

ख. पी.ओ.एस. डिवाईसों के मूल्यों के संबंध में, यह सूचित किया गया कि एजेंसियां 1200 रु. प्रति माह प्रति डिवाईस की दर से प्रभार वसूल रही हैं।

ग. राज्य सरकार ने प्रणाली समाकलक (एस.आई.) चुन लिया है जिसमें, पी.ओ.एस./एफ.पी.एस. पर मोबाइल यंत्र और एफ.पी.एस. पर उसके रख रखाव को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एजेंसियों की होगी। पी.ओ.एस. के उपयोग द्वारा खाद्यान्नों को वास्तविक रूप से जारी किए जाने पर एस.आई. आधारित भुगतान किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया सेवा स्तरीय समझौते द्वारा संचालित होगी।

घ. यदि कोई एफ.पी.एस. डीलर पी.ओ.एस./मोबाइल टर्मिनल के गैर क्रियाशील होने से संबंधित शिकायत दायर करता है, तो एस.आई. द्वारा 48 घंटों के भीतर मामले निपटारा किया जाना अपेक्षित है, ऐसा न होने पर राज्य सरकार संबंधित एजेंसियों को दंडित करेगी।

ङ. चूंकि यह संभावना भी हो सकती है कि एफ.पी.एस. डीलर पी.ओ.एस को खरीदना अथवा संचालित करना नहीं चाहते, क्योंकि शायद यह उनके हितों के खिलाफ है और उन्हें एस.आई. मॉडल अधिक उपयुक्त लगा।

च. उन्होंने यह भी साझा किया कि एफ.पी.एस. स्वचालन के तीन विकल्प हो सकते हैं:-

i. शहरी क्षेत्र (नगर निगम, 90% से अधिक आधार कवरेज के साथ) आधार आधारित अधिप्रमाणन के उपयोग से पूर्ण सुवाह्यता

ii. नगर निगम, लाभार्थियों के लिए सुवाह्यता के विकल्प के बिना।

iii. ऑफलाइन आधार पर लेन देन (जहां कनेक्टिविटी की समस्या है अथवा आधार कवरेज कम है), जहां लेन-देन को एफ.पी.एस. पर स्थापित, पी.ओ.एस. डिवाईस पर रिकार्ड किया जाता है। एफ.पी.एस. डीलर प्रति सप्ताह डिवाईस को डाटा के हस्तांतरण के लिए नजदीकी खाद्य आपूर्ति –कार्यालय में लाएंगे।

iii) **गुजरात**

क. लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधारित राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं और टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत अधिकांश गतिविधियों को पूरा कर लिया गया है। राशन कार्ड डाटा को एन.आर.ई.जी.ए., मोबाइल और बैंक अकाऊंट नं., आधार इत्यादि से जोड़ने का काम प्रक्रियाधीन है।

ख. राज्य में एफ.पी.एस. डीलरों को इलैक्ट्रानिक लेन-देन और लाभार्थियों का अधिप्रमाणन आरम्भ करने के लिए उनके एफ.पी.एस. के लिए पी.ओ.एस. डिवाईसों/कम्प्यूटरों की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य की वाजपेयी बैंक योजना के अंतर्गत, एफ.पी.एस. डीलरों को पी.ओ.एस./कम्प्यूटर की खरीद के लिए 10,000 रु. की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

ग. राजस्व के संबंध में, एफ.पी.एस. डीलरों को पी.ओ.एस. डिवाईस के उपयोग के लिए 5 रु. प्रति लेन देन दिया जाता है। राज्य में प्रति एफ.पी.एस. औसतन 600-800 कार्ड हैं जिनसे लगभग 3000-4000 रु. की मासिक आय होती है।

घ. जून 2015 की स्थिति के अनुसार, राज्य के कुल 17,302 एफ.पी.एस. में से 9,420 पहले से स्वचालित है और राज्य में 85% वितरण कम्प्यूटरीकृत है।

ङ. राज्य सरकार, न्यूनतम ऑनलाइन लेन-देन (नीचे के 5) वाले एफ.पी.एस. की निगरानी करती है और गैर अनुपालन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करती है।

iv) **दिल्ली**

क. राशन कार्ड के आवेदन फार्म को आधार नं. के ब्यौरे सहित संशोधित कर दिया गया है। इसके उपरांत डाटा बेस की पूर्णतया छटनी की गई और लगभग 15 लाख नकली/जाली कार्ड डाटा बेस से हटाए गए।

ख. अप्रैल 2015 से, राज्य में आधार अधिप्रमाणन के उपयोग द्वारा 42 एफ.पी.एस. का स्वचालन किया गया, जिसमें सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) के लाभ भी उपलब्ध कराए गए हैं।

****

स्पीड पोस्ट से

फा.सं. एस-2/1/2015-ई.सी.आर. एंड ई
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 31 **जुलाई**, 2015

विषय: दिनांक 7 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 7 जुलाई, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित, राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की राष्ट्रीय परामर्शी बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति विचारार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुरेन्द्र सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23384627, मोबाईल: 09910168408
ई-मेल: dsadmin-ca@nic.in

सेवा में,

1. सभी प्रतिभागी (सूची के अनुसार)।
2. सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

प्रति:

1. माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव।
2. माननीय कृषि मंत्री के निजी सचिव।
3. सचिव (उ.मा.) के प्रधान स्टॉफ अधिकारी।
4. सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण)।
5. सचिव (कृषि एवं सहकारिता)।
6. अपर सचिव (उ.मा.) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
7. एन.आई.सी. को - उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. राजभाषा (उ.मा.) को – कार्यवृत्त के हिन्दी अनुवाद के लिए।
9. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रति फोल्डर।